पत्रांक–योजना बजट–185/2009 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......./02/2016

विषय :– JICA सम्पोषित राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य एवं उपस्कर/फर्निचर के क्रय हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृति एवं उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त शेष राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के तहत भवन योजनान्तर्गत ₹ 330.34532 लाख (तीन करोड़ तीस लाख चौतीस हजार पाँच सौ बत्तीस ₹) की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–4003 दिनांक–31.12.2015 के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका–4 के अनुसार विषयांकित स्वीकृत राशि को वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA), पटना को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि उक्त स्वीकृत राशि से संबंधित सभी कार्य के क्रियान्वयन एवं सम्पूर्ण राशि के व्यय हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA), पटना कार्य एजेंसी के रूप में नामित हैं, जिसमें भवन निर्माण कार्य एवं उपस्कर/फर्निचर का क्रय किया जाना सम्मिलित है।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के सूचनानुसार उक्त स्वीकृत्यादेश में उपस्कर/फर्निचर का क्रय के संबंध में आवश्यक तकनीकि जानकारी के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया स्वंय सक्षम है और स्वीकृत राशि भी उन्हें ही आवंटित किया गया है। अतएव उक्त कार्य के शीघ्र निष्पादन के दृष्टिपथ में फर्नीचर/उपस्कर क्रय हेतु IDA के तकनिकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 179.531 लाख (एक करोड़ उनासी लाख तीरपन हजार एक सौ ₹) के तहत संस्थान में उपयोग होने वाले फर्नीचर एवं उपस्करों का क्रय IDA के बदले वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. इस प्रकार विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या–4003 दिनांक–31.12.2015 की कंडिका–4 को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा कंडिका–4 का शेष अंश एवं उक्त स्वीकृत्योदश की अन्य सभी कंडिकायें/शर्त्तें/निदेश यथावत रहेगें।

4. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–18.01.2016 की कार्यवाही ज्ञापांक–162 दिनांक–19.01.2016 द्वारा प्रस्ताव की अनुमति की अनुशंसा तथा संचिका के पृष्ट–80/टि० पर दिनांक–29.01.2016 को विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं पृष्ट–84/टि० पर दिनांक–11.02.2016 को वित विभाग का परामर्श प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–185/2009(पार्ट) 621 /प०व० पटना–15, दिनांक–22/02/2016

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–4/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गया एवं उनके संबंद्ध कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी०(मैनेजर)/पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव